पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)

टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– प.1( )परीक्षा/2017–18/ 1044 दिनांकः 26.11.2018

मुख्य परीक्षा, 2019 के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरवाने संबंधी विज्ञप्ति

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से संबद्ध झुन्झुनूं एवं सीकर जिले के स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध, उतरार्द्ध, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एससी. बायोटेक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष (वार्षिक पद्धति) की मुख्य परीक्षा, 2019 के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र ई–मित्र की वेबसाइट से भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता हैः–

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बिना विलंब शुल्क	रू. 100/– विलंब शुल्क सहित
1	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ बी.बी.ए./बी.सी.ए./ बी. एससी. बायोटेक पार्ट– I (नियमित विद्यार्थी/पूर्व छात्र)	30.11.2018 से 15.12.2018	16.12.2018 से 20.12.2018
2	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. पार्ट– I (स्वयंपाठी परीक्षार्थी)		
3	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ बी.बी.ए./बी.सी.ए./ बी. एससी. बायोटेक पार्ट– II (नियमित विद्यार्थी/पूर्व छात्र)		
4	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. पार्ट– II (स्वयंपाठी परीक्षार्थी)		
5	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ बी.बी.ए./बी.सी.ए./ बी. एससी. बायोटेक पार्ट– III (नियमित विद्यार्थी/पूर्व छात्र)		
6	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. पार्ट– III (स्वयंपाठी परीक्षार्थी)		
7	स्नातकोत्तर एम.ए./एम.एससी./ एम.कॉम/ पूर्वार्द्ध, उतरार्द्ध (नियमित/स्वयंपाठी/पूर्व छात्र)		

नोटः– दो गुणा परीक्षा शुल्क के साथ दिनांक 21.12.2018 से 24.12.2018 तक, तीन गुणा परीक्षा शुल्क के साथ दिनांक 25.12.2018 से 27.12.2018 तक तथा चार गुणा परीक्षा शुल्क के साथ दिनांक 28.12.2018 से 31.12.2018 तक उक्त सभी आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जा सकेंगे।

नोटः–

1. परीक्षा फार्म भरने की तिथियां आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।
2. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन ई–मित्र के माध्यम से ही होगी अन्य किसी भी माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा नहीं होगा।
3. परीक्षा फार्म दिशा–निर्देशों का अवलोकन सावधानीपूर्वक करें।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा, 2018 में परीक्षा दे चुके एवं पूर्व परीक्षार्थी पिछली कक्षा के अनुक्रमांक से ही परीक्षा फार्म भर सकेंगे।
5. स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर भूगोल परीक्षा में जो स्वयंपाठी परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय का चयन करें। उन्हे निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित शुल्क शीघ्र जमा करवावें। तत्पश्चात प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालय में सम्पर्क करें। अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 7742505957 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा–निर्देश, परीक्षा फीस या विवरण एवं नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु महाविद्यालयों की सूची आदि की सूचना वेबसाइट **www.shekhauni.ac.in** पर उपलब्ध है।

(डॉ. मुनेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः– प.1( )परीक्षा/2017–18/1044 दिनांकः 26.11.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैं–

प्राचार्य संबद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है किः–

a. वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म सही हैं एवं दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा–निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया महाविद्यालय कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।
b. संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फार्म निम्न तिथियों पर विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करायेंगे–
   i. स्नातक स्तर एव स्नातकोत्तर के समस्त आवेदन पत्र–
      सीकर– 25 दिसम्बर, 2018
      झुन्झुनूं– 27 दिसम्बर, 2018
c. विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध, उतरार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फॉर्म भरवाये गये हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्य द्वारा परीक्षा–फॉर्मों के साथ संलग्न करना होगा।
d. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह संबंधित प्राचार्य सुनिश्चित कर लें।
e. केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फॉर्म अग्रेषण का शुल्क रूपये 8/– (नवीन दरें) प्रति छात्र संबंधित महाविद्यालयों को देय होगा।
f. संबंधित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे– परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पात्रता परीक्षा संबंधी सभी सूचनाएं आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हे परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करने के पश्चात ही परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करें। ई–मित्र के द्वारा देय रसीद की फोटो प्रति के पीछे जमा कर्ता के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मोहर अंकित कर परीक्षार्थी को रसीद के रूप में प्रदान करें, छात्र इस रसीद को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रहे तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अंकतालिकाओं की छायाप्रति आदि संलग्न हो। स्नातकोत्तर प्रथम में प्रवेश लेने वाले ऐसे परीक्षार्थी जिन्होने स्नातक अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हैं, उनके आवेदन पत्र के साथ प्रवर्जन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा।

2. वित्त नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा–2019 हेतु ई–मित्र द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि जमा विवरण प्राप्त कर मिलान करने का भी श्रम करावें।
3. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के जिलों में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर आदि) में एक बार प्रकाशित करवावें एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
5. सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, जयपुर।
6. समस्त अनुभागाधिकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
7. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।

(डॉ. मुनेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)

टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– प.1( )परीक्षा/2017–18/1044 दिनांकः 26.11.2018

मुख्य परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरवाने संबंधी महाविद्यालय एवं परीक्षार्थियों को दिशा–निर्देश

सामान्य दिशा निर्देशः–

1. नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का निर्धारित परीक्षा शुल्क ई–मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क के माध्यम से जमा होगा, परीक्षा शुल्क जमा कराने का अतिरिक्त निर्धारित शुल्क रूपये 5/– प्रति परीक्षार्थी द्वारा ई–मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क को अदा करना होगा। परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–
   a. छात्र सर्वप्रथम वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर विजिट कर अपनी कक्षा से संबंधित पंजीकरण करवाकर ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरेंगे।
   b. निर्धारित शुल्क के चालान का प्रिन्ट लेकर ई–मित्र पर शुल्क जमा करवायें। पुनः वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर लॉगईन कर चालान नंबर और टोकन नंबर अंकित कर अपनी परीक्षा फार्म की दो प्रतियां प्रिंट करें।
   c. परीक्षार्थी कैशलेश पद्धति से/ई–मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क पर परीक्षा शुल्क नकद जमा करवा सकते हैं।
   d. परीक्षा आवेदन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाऐं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।
   e. ई–मित्र पर एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा और ई–मित्र पर जमा शुल्क का टोकन निरस्त नहीं होगा। संबंधित ई–मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क भी यह सुनिश्चित कर लें।
   f. आवेदनकर्ता अपना परीक्षा फार्म ई–मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन भरवा सकते हैं। इसके लिए संबंधित कियोस्क को उनका निर्धारित शुल्क रूपये 25/– प्रति परीक्षा फार्म एवं वेब कैमरा से फोटो अपलोड करने का निर्धारित शुल्क रू. 5/– प्रति परीक्षार्थी अलग से देना होगा।
   g. परीक्षार्थियों द्वारा ई–मित्र के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम (नकद/बैंक ड्राफ्ट/चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
2. विश्वविद्यालय परीक्षा–2018 में प्रविष्ठ हो चुके छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र पिछली कक्षा के रोल नंबर से ही भरे जा सकेंगे।
3. ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपने उच्च माध्यमिक कक्षा के रोल नंबर से ही परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे।
4. विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले स्नातक पार्ट प्रथम, पी.जी. पूर्वार्द्ध, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य कक्षाओं हेतु फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले छात्र संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन–पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्ठियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड़ करें। परीक्षार्थी अपना, माता एवं पिता का नाम माध्यमिक परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका के अनुरूप ही भरें।

5. परीक्षा फार्म जमा करवाने की व्यवस्था निम्न प्रकार है:–

a. नियमित परीक्षार्थी:–

i. दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट लेकर तथा ई–मित्र पर जमा शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी की दो प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों से शुल्क जमा करवाने की तिथि से अगले तीन कार्यदिवस तक उन महाविद्यालयों में जमा करायेंगे जिनमें उनका नियमित प्रवेश है।

ii. संबंधित महाविद्यालय परीक्षार्थियों के फार्म की जांच कर उनके परीक्षा फार्म पर अंकित फार्म नंबर से उन्हे वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर अपने लॉगिन आईडी (कॉलेज कोड) एवं पासवर्ड से विजिट कर वेरीफाई बटन दबाकर दर्ज करेंगे। कक्षा एवं संकायवार परीक्षार्थियों की सूची का दो प्रतियों में प्रिंट लेकर परीक्षा फार्मों की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज के सूची के क्रमानुसार संलग्न कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

iii. महाविद्यालय परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को प्रेषित करने से पूर्व परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा फार्म में अंकित किये गये विषयों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय द्वारा छात्र को आवंटित विषय में ही फार्म भरे गये हैं। इस संबंध में किसी भी त्रुटि के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन पत्रों के साथ संलग्न करेंगे।

b. स्वयंपाठी परीक्षार्थी:–

i. स्वयंपाठी परीक्षार्थी ई–मित्र पर जमा शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी की दो प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों से शुल्क जमा करवाने की तिथि से अगले तीन कार्यदिवस में परीक्षा आवेदन पत्र पर अंकित महाविद्यालय में जमा करावें। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित महाविद्यालयों की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है।

ii. संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्राप्त स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म की जांच कर उनके परीक्षा फार्म पर अंकित फार्म नंबर से उन्हे वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर अपने लॉगिन आईडी (कॉलेज कोड) एवं पासवर्ड से विजिट कर वेरीफाई बटन दबाकर दर्ज करेंगे। कक्षा एवं संकायवार परीक्षार्थियों की सूची का दो प्रतियों में प्रिंट लेकर परीक्षा फार्मों की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज के सूची के क्रमानुसार संलग्न कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

iii. यदि स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रेक्टिकल विषय लिये हैं तो उन्हे नियमानुसार प्रेक्टिकल ट्रेनिंग करना आवश्यक है। प्रशिक्षण नहीं लेने वाले छात्रों को परीक्षा, 2019 की प्रायोगिक परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

c. महाविद्यालय द्वारा वेबसाईट पर पंजीयन तथा परीक्षा आवेदन पत्र जमा कर विश्वविद्यालय में अग्रषित करने की प्रक्रिया:

संबंधित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्रों को कक्षावार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय लॉगिन आई.डी. से वेरिफाई करके विश्वविद्यालय में जमा करवायेंगे।

i. नवीन संबद्धता प्राप्त अथवा जिन महाविद्यालयों को गत वर्ष लोगिन आई.डी./पासवर्ड आवंटित नहीं हुआ है ऐसे महाविद्यालय उनको आवंटित महाविद्यालय कोड से वेबसाईट www.shekhauni.ac.in के कॉलेज पोर्टल पर अपना ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर का रजिस्ट्रेशन करवायेंगे। तत्पश्चात् उन्हे महाविद्यालय लॉगिन आई.डी. एवं वन टाईम पासवर्ड पंजीकृत मोबाईल/ई–मेल आई.डी. पर उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय

अपना नया पासवर्ड बदलने के ऑप्सन पर अपना नया पासवर्ड उसी वेबसाईट पर अपने स्तर पर बइल सकेंगे।

ii. ऑनलाईन गेटवे/ई–मित्र के माध्यम से जमा शुल्क के साथ प्राप्त परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी को कक्षा एवं श्रेणीवार उसी वेबसाईट के कॉलेज पोर्टल पर प्रत्येक छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र को वेरिफाई करें। संबंधित कक्षा के सभी परीक्षा आवेदन पत्रों को वेरिफाई करने के पश्चात प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर Nominal Roll का प्रिन्ट लें। तत्पश्चात् Nominal Roll लिस्ट के क्रमानुसार ही संबंधित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्रों को व्यवस्थित कर Nominal Roll लिस्ट के साथ विश्वविद्यालय में जमा करवायें।

नोटः– उक्त प्रक्रिया के अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6. पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायेंगे, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे, परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके है उनके परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवा सकेंगें। संबंधित राजकीय महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में जमा करावें।
7. परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्मों पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
8. **संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।**
9. परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा परीक्षार्थी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती जैसे– नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेन्ट नंबर, इत्यादि में बाद में संशोधन करवाने पर रू. 200/– प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर सुधार संभव होगा।
10. :–
    a. ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।
    b. राजस्थान बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रवर्जन प्रमाण–पत्र (माइग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न करें। संबंधित महाविद्यालय/संग्रहण केन्द्र मूल दस्तावेजों की सम्पूर्ण जॉच करके परीक्षार्थी को मूल दस्तावेज वापिस लोटाना सुनिश्चित करेंगे।
    c. जिन परीक्षार्थियों ने अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा अब स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध नियमित एवं स्वयंपाठी के लिए परीक्षा आवेदन कर रहे हैं, वे अपना मूल प्रवर्जन प्रमाण–पत्र (माइग्रेशन) परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा करवायें। परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं करवाने की स्थिति में दिनांक 15 जनवरी, 2018 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।
11. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधित सूचना उनके परीक्षा प्रवेश–पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
12. फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की अंकतालिका के अनुसार भरें।
13. विश्वविद्यालय अधिनियम 176 के अनुसार उन्हीं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के जिला– सीकर एवं झुन्झुनूं में ढ़ाई वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हो। यह प्रमाण–पत्र उन्हीं परीक्षार्थियों को देना है जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन प्रथम बार होना हैं।

14. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, की परीक्षा में सम्मिलति होते हैं, तो उन्हें संबंधित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण – पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
15. अन्य (नियमानुसार समकक्षता/मान्यता प्राप्त) विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय से स्नातक पार्ट–प्रथम उत्तीर्ण छात्र यदि इस विश्वविद्यालय से पार्ट– द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलति होना चाहते हैं तोः
    a. ऐसे छात्र उन्हीं वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिनका चयन पार्ट–प्रथम में किया था। परन्तु अनिवार्य विषयों (सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग) में से जो विषय पूर्व विश्वविद्यालय में संचालित नहीं थे, उन अनिवार्य विषयों की परीक्षा पार्ट– द्वितीय के साथ देना अनिवार्य होगा।
    b. ऐसे छात्रों की डिवीजन का निर्धारण पार्ट– द्वितीय एवं तृतीय में प्राप्तांकों के आधार पर होगा तथा उन्हें दो वर्षीय उपाधि प्रदान की जावेगी।
16. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरूष परीक्षार्थियों को गृह–विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है।
17. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते है।
18. बी.ए./बी.एससी. एडिशनल परीक्षा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अथवा अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिसका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो। उन्हे B.A./B.Sc. Additional के पार्ट–प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के सभी विषय वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करने होंगे।
19. स्नातक कक्षाओं (नियमित/स्वयंपाठी) में श्रेणी/अंक सुधार हेतु पार्ट–प्रथम/द्वितीय/तृतीय उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषयों (यदि हो) की परीक्षा भी पुनः देनी होगी।
20. स्नातक कक्षाओं (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जायेंगे।
21. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमानुसार नॉन कॉमर्स परीक्षार्थियों को बी.कॉम पार्ट– प्रथम में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एण्ड अकाउन्टेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
22. एम.ए./एम.एससी. भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते है।

    नोटः बी.टेक उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एससी. गणित के लिए आवेदन पत्र नहीं भरें।
23. **स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) कक्षाओं में अंक/श्रेणी सुधार के संबंध में:**
    a. अधिनियम 169–ई (i) के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उतरार्द्ध परीक्षा–2018 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हे (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्र सहित) सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षा देनी होगी।
    b. अधिनियम 169–ई (ii) के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उतरार्द्ध परीक्षा–2018 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्नपत्र (सैद्धान्तिक) में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते है। प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अंक सुधार की सुविधा नहीं है।

c. अधिनियम 169–डी के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी, पूर्वार्द्ध और उतरार्द्ध के सभी विषयों (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित) में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार उन्ही विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है।

24. विश्वविद्यालय अधिनियम 168–ए के अनुसार विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष में आयोजित होने वाली दो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता।
25. विश्वविद्यालय अधिनियम 193–सी के अनुसार परीक्षार्थी किसी बकाया विषय को एक से अधिक बार में उत्तीर्ण करता है तो स्नातक पार्ट–3 में श्रेणी निर्धारण हेतु उस बकाया विषय के न्यूनतम अंक जोड़े जायेंगे।
26. स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति नहीं है। हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परसियन विषय का चयन नहीं कर सकते है।
27. स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं दी जावेगीः–
टैक्सटाईल क्राफ्ट, बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, रूरल डवलपमेन्ट, ड्रॉइंग एण्ड पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी अधिनियम–175)।
28. **विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों की सूची एवं स्वयंपाठी परीक्षा केन्द्रों की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके प्रवेश पत्र पर उपलब्ध कराई जायेगी।**
29. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने संबंधी समस्त जानकारियां जैसे दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं महाविद्यालयों संबंधी सूचना वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी पूर्ण रूपेण सही भरे हुये परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में परीक्षा फीस की रसीद सहित, अंतिम तिथि से अगले तीन कार्य दिवस में संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप में जमा करायें। ऐसे छात्र जो ई–मित्र के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फार्म संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हे सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
30. विश्वविद्यालय परीक्षा, 2019 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क स्पोर्टस बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है–

I. FEE PAYABLE FOR UG COURSES EXAM. 2019

S. No.	Name of Exam	Regular	Ex. Student	Non-Collegiate
1.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-I (If already enrolled)	1100/-	1220/-	1760/-
2.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-I (If already enrolled)	1530/-	1650/-	--
3.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-I (If not enrolled) (Enrollment & Eligibility Fees 260+260= 520/-)	1620/-	--	2280
4.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-I (If not enrolled) (Enrollment & Eligibility Fees 260+260= 520/-)	2050/-	--	--
5.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-II	1100/-	1220/-	1760/-
6.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-II	1530/-	2300/-	--
7.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-II (with due paper of Pt.-I)	1600/-	1720/-	2260/-
8.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-II (with due paper of Pt.-I)	2030/-	2150/-	--
9.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-III	1530/-	1650/-	2310/-
10.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-III	1750/-	1900/-	

11.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-III (with due paper of Pt.-I OR Pt.-II)	2030/-	2150/-	2810/-
12.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-III (with due paper of Pt.-I OR Pt.-II)	2250/-	2400/-	--
13.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-III (with due paper of Pt.-I And Pt.-II)	2530/-	2650/-	3310/-
14.	B.A./B.Sc./B.Com. Under Ord. 169 E/B.A. Additional	-	1650/-	2310/-
15.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-III (with due paper of Pt.-I And Pt.-II)	2750/-	2900/-	--
16.	Fees for Physically challenged Students **(for above all categories)**	500/-	550/-	1000/-

II. FEE PAYABLE FOR PG COURSES EXAM. 2019

S. No.	Name of Exam	Regular	Ex. Student	Non-Collegiate
1.	M.A./M.Sc./M.Com.(Prev.) (If already enrolled)	1400/-	1500/-	2100/-
2.	M.A./M.Sc./M.Com.(Prev.) (If not enrolled)	1920/-	-	2600/-
3.	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) Ord. 169/E-(1)/0.215/0.238/0.250	1700/-	1800/-	2700/-
4.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) (With due papers of Prev./Ord. 169-E(11)	2200/-	2300/-	3200/-
5.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 169-D)	-	2900/-	3800/-
6.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 179)	-	-	3900/-
7.	Fees for Physically challenged Students **(for above all categories)**	500/-	550/-	1000/-

नोटः–

i. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क में छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि मेडिकल ऑफिसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

ii. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावें।

(डॉ. मुनेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः– प.1( )परीक्षा/2017–18/1044
दिनांकः 26.11.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. कुलपति सचिवालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. प्राचार्य, संबद्ध महाविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. वित्त नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयुपर।
6. निजी सचिव, परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
7. समस्त अनुभागाधिकारी।
8. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।

(डॉ. मुनेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक